भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क सं0	प्रस्ताव	आख्या
1	परियोजना/स्कीम का नाम	जंघई–प्रतापगढ़–अमेठी रेल ट्रैक दोहरीकरण के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ के कि0मी0 868.00 से 924.00 तक रेल ट्रैक दोहरीकरण में प्रभावित 29.5555 हे0 वन भूमि एवं 2673 वृक्षों के पातन की गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।
2	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
3	जिला	प्रतापगढ़
4	वन प्रभाग	सा0 वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग प्रतापगढ़
5	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	29.5555
6	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
7	हरियाली का घनत्व	0.10
8	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) एफ0ए0एल0–2 मी0 पर परिगणना एफ0आर0एल0–4 मी0 भी संलग्न की गयी है।	परियोजना में 2673 वृक्षों का पातन निहित है।
9	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	सामान्य
10	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–
11	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल,रिजर्ब बाघ,रिजर्ब हाथी कारीडोर आदि का भाग हैं यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं
12	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ।	नही
13	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारस्परिक अथवा रक्षा प्रतिष्ठान या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति हैं । यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें)	नही
14	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जाचें गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	न्यूनतम है।
15	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां तो कार्य	नही

	की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहें है ।	
16	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा–	संलग्न है।
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	100.00 हे0 कलचिहा वन ब्लाक (चित्रकूट वन प्रभाग)
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र के आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है।
iii	रोपित की जानी वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि)	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
17	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7,8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
18	विभाग/जिला प्रोफाइल	सा0 वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग प्रतापगढ़
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	**373000.00 हे0 में**
ii	जिले का वन क्षेत्र	**444.50 हे0**
iii	मामले की संख्या सहित 1980 बनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	10 एवं 62.382012 हे0
iv	1980 के जिला प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक	इस वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण नही किया गया है। इस वन प्रभाग से सम्बन्धित समस्त क्षतिपूरक वनीकरण इलाहाबाद वन प्रभाग में किया गया है। (109.06 हे0)
v	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनीकरण	शून्य
vi	वनेत्तर भूमि पर	109.06 हे0 (इलाहाबाद वन प्रभाग)
vii	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	109.06 हे0
19	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेत्तर कार्यो के लिये संस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव जनहित में है अतः प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 17-07-2020 हस्ताक्षर

(बी० आर० अहिरवार) नाम

स्थान– प्रतापगढ़

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव प्रभाग सरकारी मोहर
प्रतापगढ़